


म०प्र०शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ-भवन, भोपाल-462004
क्रमांक- 49/12127738/2024/20-3 भोपाल, दिनांक 28/6/2024
प्रति,

सचिव
सी०बी०एस०ई०,
लड़ दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संस्था को सी०बी०एस०ई० लड़ दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वाला।

राज्य शासन एतद् द्वारा अशासकीय संस्था-विद्या भवन पब्लिक स्कूल
बौगांव, जिला-छतरपुर, म०प्र० को सी०बी०एस०ई० लड़ दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान किया जाता है:-

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से संबंधित मिलने के
उपरांत भी मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की
मान्यता नियम, 2017 में दिये गये प्रावधानों का पालन किया जावेगा।
- (2) विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय की प्रबंधन समिति में संभागीय संयुक्त
संचालक, लोक शिक्षण तथा उनके द्वारा नामांकित एक प्रतिनिधि को
सदस्य के रूप में नामांकित करना होगा तथा प्रबंधन समिति की बैठकों
में शासकीय सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- (3) संस्था द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय
प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं
किया जायेगा।
- (4) संस्था विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं
खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल
का मैदान, छात्रावास भवन की सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध
करायेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिया जाय।
- (5) संस्था द्वारा प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेलों
आदि के आयोजन में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रधान की

 निरन्तर...2

Shivaji
साचब
ग्रन्थालय विभाग शिक्षा समिति
बौगांव जिला छतरपुर (म.)

K
PRINCIPAL
Vidya Bhawan Public School
Nowgong

- (6) जायेगी। निःशक्ति छात्रों के लिये संस्था को ऐप की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। संस्था निःशक्ति छात्रों को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत जहि गिर्ह पारी गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पर समाप्त करने की कार्यतात्त्वी की जा सकेगी।
- (7) प्रमाण पर समाप्त करने की कार्यतात्त्वी की जा सकेगी। एक विद्युत विभाग में आज तक शालाओं में लगने वाली पुस्तकें एवं लेखन सामग्री खुले बाजार से कम करने की सुविधा मौजूदी। किसी दुकान विशेष में कम करने की व्यवस्था नहीं रहेगी।
- (8) संस्था के छात्रों को उनके विवास से विद्यालय तक लाने एवं वापस भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एल०पी०जी० आदि से संचालित नहीं किया जायेगा।
- (9) शिक्षण संस्था में मान० उच्चतम व्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कियाशील अग्नि-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था की जायेगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन भी करना होगा।
- (10) छात्रों की सुरक्षा तथा परिवहन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग व परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
- (11) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकों भी नहीं रखी जा सकेगी।
- (12) संस्था के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।
- (13) विद्यालय प्रबंधन विद्यालय में प्रवेश के लिये बच्चों तथा माता-पिता

निरन्तर..3

गम्भूदयाल तिवारी शिक्षा समिति
नौनगंवि जिला छत्तीसगढ़ (म)

PRINCIPAL
Vidya Bhawan Public School
Nowrangpur

//3//

अथवा अभिभावकों को किसी भी प्रकार की स्कीलिंग प्रक्रिया नहीं
अपनायेगा।

से

- (14) संबंधित विद्यालय द्वारा तैयार शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक अमले की सेवा-शर्तें
जो कि राज्य शासन के गमना होना चाहिए के पालन न होने की
स्थिति में संबंधित संभागीय गंगुला गंचालक, लोक शिक्षण आवश्यक
कार्यगाही हेतु सहाय होगे।
- (15) सम्बन्धित विद्यालय के पश्चात एक वार मान्यता प्रदान कर दिये जाने पर
सोसायटी/दस्ट मान्यता के समग्र दावाकृत किसी भी मापदण्डों को
परिवर्तित नहीं करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय
स्कूल परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं, यदि निरीक्षण के समय यह
पाया जाता है कि सोसायटी/दस्ट किसी मापदण्डों का पालन नहीं कर रहा
है तो संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को मान्यता नियम,
2017 के नियम-11 के उप नियम-(1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का
अनुसरण करते हुये स्कूल की मान्यता निलंबित करने और पश्चातवर्ती
इसे वापिस लेने की शक्ति होगी।
- (16) अशासकीय विद्यालयों में संचालित वाहनों में एक महिला एवं एक पुरुष
परि-चालक की व्यवस्था की जाय तथा वाहन में निर्धारित सीट से अधिक
छात्र/छात्राओं को नहीं बैठाया जाय।
- 2/ उपर्युक्तानुसार शर्तों का पालन न करने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त
किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,
~~२४/६/२४~~
(ओ०एल०मण्डलोडी)

उप सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ०क्रमांक- ५५२/२१२७७३८/२०२४/२०-३

भोपाल, दिनांक २४ /६/२०२४

प्रतिलिपि:-

- (1) विशेष सहायक, मान० मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
(2) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र० भोपाल।

निरन्तर...4

S. S. S.
भूदयाल तिवारा शिक्षा समिति
नई दिल्ली, भोपाल

KJ
PRINCIPAL
Vidya Bhawan Public School
Nowgong

- (3) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 भोपाल।
 (4) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग.....म0प्र0।
 (5) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-छतरपुर, म0प्र0।
 (6) प्राचार्य, अशासकीय संस्था-विद्या भवन पब्लिक स्कूल नौगांव,
 जिला-छतरपुर, म0प्र0।
 (7) फोल्डर प्रति,
- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अद्येष्टि।

*M d
28/6/14*
उप सचिव

म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

S. K.
सचिव
भूदयाल तिवारा शिक्षा समिति
नौगांव जिला छतरपुर (म.)

Ko
PRINCIPAL
Vidya Bhawan Public School
Nowgong